न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्याः- 16/2026

राजस्थान राज्य

बनाम

अभिषेक सिंह सोलंकी

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(m), 351(3) बी.एन.एस.

उपस्थितः-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।
2. श्री कमलेश दवेरा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

आदेश

दिनांकः- 13.02.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.05.2025 को प्रार्थी सुरेश कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की कि मेरी पुत्री कुसुम उर्फ खुशबु को जॉब की आवश्यकता होने पर कुमुर उर्फ खुशबु जॉब ढूंढ रही थी, तब अभिषेक सिंह सोलंकी निवासी आशापुरा टाउनशीप पाली ने उसको दिनांक 19.04.2025 को लाल बाग कैफे हाउसिंग बोंड रोड, पाली में जॉब के बारे में बातचीत करने के लिये बुलाया, फिर अभिषेक सिंह सोलंकी ने मेरी पुत्री को यह कहा गया कि आप मेरे ऑफिस आशापुरा टाउनशीप जोधपुर रोड पाली में आकर मिले। दिनाक 22 अप्रैल 2025 को मेरी पुत्री भिषेक सिंह सोलकी के बताये गये पते पर सुबह करीब 11-12 बजे गयी। तब अभिषेक सिंह सोलकी ने मेरी पुत्री को कहा की मैं जॉब दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बार मेरे साथ सोकर मुझे खुश करना पड़ेगा। मेरी पुत्री मना करके वहां से जाने लगी तो अभिषेक सिंह सोलंकी ने जल्दी से दरवाजा बन्द कर दिया, तब मेरी पुत्री चिल्लाने लगी तो अभिषेक सिंह सोलंकी ने धमकी दी की चिल्लाई तो जान से मार दूंगा, तत्पश्चात अभिषेक सिंह सोलकी ने जोर जबरदस्ती मेरी पुत्री के साथ खोटा काम (बलात्कार) किया तथा अभिषेक सिंह सोलकी ने मेरी पुत्री के गलत फोटो व वीडियो ले लिये तथा मेरी पुत्री को कहा की अगर किसी को कहा तो तेरे फोटो व वीडियो तेरे रिश्तेदारों को व सोशल मिडिया पर वायरल कर दूंगा।

"Authecticated document"
Stenographer
Digitally signed by SWAROOP
Location: pali
Date: 2026.02.16 15:48:58 +0530

दिनांक 05.06.2025 को अभियुक्त मेरी पुत्री को बार बार फोन कर आशापुरा टाउनशीप बुलाने लगा, तब मेरी पुत्री ने अभियुक्त के उक्त कृत्यों के डर के कारण वहा से जाने से इंकार किया तो अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी ने मेरी पुत्री को धमकी दी कि यदि नहीं आई तो तेरे फोटो व वीडियो वायरल कर दूंगा। तब मेरी पुत्री दोपहर करीब 12-01 बजे अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी के आशापुरा टाउनशीप स्थित पते पर गयी, जहां अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी ने जोर-जबरदस्ती मेरी पुत्री के साथ खोटा काम (बलात्कार) किया तथा मेरी पुत्री को धमकाने लगा कि किसी को कहा तो तेरे फोटो और वीडियो सोशल मिडिया पर डाल दूंगा.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 124 दिनांक 09.05.2025 अंतर्गत धारा 64(2)(एम), 308(2) बीएनएस दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(m), 351(3) भा.न्या.सं. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, पाली में प्रस्तुत किया जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किया गया, जो दिनांक 23.01.2026 को दर्ज किया गया।

2. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं, उसको इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरीना पेश की गई है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बारबार बलात्संग करने जैसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पत्रावली पर आधार नहीं होना बताते हुए अभियुक्त को धारा 64(2)(m), 351(3) भा.न्या.सं. के अपराध से उन्मोचित करने का निवेदन किया, जबकि लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किए जाने का निवेदन किया।

3. <u>उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया।</u> पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी सुरेशचंद, पीड़िता सुश्री कुसुम उर्फ खुशबू व गवाहान श्रीमती सरिता, अमराराम, मदनसिंह आदि के धारा 180 बीएनएसएस के बयानों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य एवं पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(m), 351(3) भा.न्या.सं. का अपराध कारित करना प्रकट होता है।

SWAROOP
"Authecticated document"
Stenographer
Digitally signed by SWAROOP
Location: pali
Date: 2026.02.16 15:49:06 +0530

4. न्यायालय को चार्ज की स्टेज पर मात्र यह देखना होता है कि पत्रावली पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा किए जाने के आधार उपलब्ध हैं अथवा नहीं एवं अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया है अथवा नहीं। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं मेडिकल साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया आरोप विरचित किए जाने के आधार पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

5. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर आरोप विरचना के समय विचार नहीं किया जा सकता। चार्ज की स्टेज पर Defence अभियुक्त का Relevent नहीं है और न्यायालय को मात्र चार्ज की स्टेज पर राय ही देनी है, जबकि डिस्चार्ज की स्टेज पर न्यायालय को Reason रिकॉर्ड करने होंगे। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार पर न्यायालय की राय है कि अभियुक्त अभिषेक सिंह सोलंकी के विरूद्ध अपराध धारा 64(2)(m), 351(3) भा.न्या.सं. के तहत आरोप विरचित किये जाने की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं।

आदेश

6. परिणामतः अभियुक्त **अभिषेक सिंह सोलंकी** पुत्र महेन्द्र सिंह सोलंकी, उम्र 25 वर्ष, निवासी कुड़ी भगतासनी, पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर को अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(m), 351(3) भा.न्या.सं. के तहत आरोप विरचित किये जाकर सुनाये जाने का आदेश दिया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

7. यह आदेश आज दिनांक **13.02.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

"Authecticated document" Stenographer Digitally signed by SWAROOP Location: pali Date: 2026.02.16 15:49:11 +0530

Notes:-1 This copy is for reading for advocates only.

2- The certified copy be taken for all purposes.

3- Any discrepancy/mistake be brought to knowledge to reader/steno to rectify as per direction of e court website.